

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-4255 /9-1-2017-32मेला/2017
लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938) की धारा-2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध नीचे सविस्तार वर्णित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर और 30 नवम्बर (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच प्रवर्तनीय होंगे।

कार्तिक पूर्णिमा मेला तिगरी, जनपद अमरोहा की सीमा

पूर्व की सीमा - तिगरी गाँव
पश्चिम की सीमा - गंगा नदी
उत्तर की सीमा - तिगरी बंधा
दक्षिण की सीमा - ग्राम कांकाठेर

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4255 (1)/9-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक अक्टूबर, 2017 के असाधारण गजट में वैधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्य 4244 (2)/9-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
- (2) उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- (3) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- (4) मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- (5) जिलाधिकारी, अमरोहा।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।